


मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 3/12/2019

क्र. एफ 16-06/2018/ए-ग्यारह:राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स सागर मैन्युफेक्चरर्स प्रा.लि. द्वारा रु. 749.69 करोड़ के पूंजी निवेश से तामोट जिला रायसेन में चार काटन यार्न निर्माण परियोजनाओं स्थापना हेतु पूर्व में शासनादेश क्र. एफ 16-13/2016/ए-ग्यारह दिनांक 13.02.2017 एवं एफ 16-06/2018/ए-ग्यारह दिनांक 22.06.2018 में स्वीकृत विशेष सुविधा अनुसार विद्युत टेरिफ में रु. 1.00 प्रति यूनिट की छूट मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा रिटेल टेरिफ आर्डर में प्रावधानित छूट के अतिरिक्त होगी एवं संबंधित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी विद्युत देयक में ही समायोजित की जावे।

(i) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(डा. राजेंद्र सिंह रावत)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 3/12/2019

पृ.क्र. एफ 16-06/2018/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला रायसेन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर, मेसर्स सागर मैन्युफेक्चरर्स प्रा.लि. द सागर, ई-2/4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग